सं0-15/2016/750/62-2-2016-14एम0आई0/97टी0सी0-।।

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मार्च,2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण की बचत की धनराशि के सापेक्ष खण्डों/वृत्तों से प्राप्त मांग के अनुरूप मध्यम गहरे एवं गहरे नलकूपों के निर्माण हेतु आई0 एस0 कोड-12818/2010 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत 150एम0एम0, 175एम0 एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0 पाइप), 150एम0एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एम0 पाइप) तथा 150एम0 एम0 यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रिन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-19/ल0सिं0/भ0आ0/ म0ग0न0-ग0बो0-पी0वी0सी0/2015-16, दिनांक 24-02-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रय समिति की बैठक दिनांक 23-02-2016 में लिए गये निर्णय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के क्रम में निम्नलिखित विवरण/तालिका के अनुसार पाइप क्रय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

S. NO.	PARTICULAR OF PIPE	NAME OF THE FIRM HAVING MINIMUM RATE	REQUIRED QTY AS PER AVAILABLE BUDGET (METER)	BASIC RATE EX WORKS (RS./M)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. UPTO CONSIGNEE STORE (RS./M)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING EXCISE DUTY & VAT (RS./M) (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1-	150 MM UPVC CS PIPE	M/s Apollo Pipes	4059	383.00	18.00	401.00
2-	150 MM UPVC RMS PIPE	M/s Apollo Pipes	25176	609.00	20.00	629.00
3-	175 MM UPVC CS PIPE	M/S ASHISH PIPES	37632	547.00	25.00	572.00
4-	200 MM UPVC CS PIPE	M/S SWASTIC TUBES	5607	680.00	32.00	712.00
5-	150 MM UPVC CM PIPE	M/S APOLLO PIPES	840	499.00	20.00	519.00
6-	200 MM UPVC CM PIPE	M/S SWASTIC TUBES	5976	878.00	32.00	910.00

नोट:-उपरोक्त तालिका के कालम-7 में दर्शायी गयी दरों पर Excise Duty + Cess & VAT etc. तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18- 7-94-15 (एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 तथा उघोग अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86, दिनांक 10-3-2003 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुति दे दी गयी है, चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण की बचत की धनराशि के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सापेक्ष खण्डों/वृत्तों से प्राप्त मांग के आधार पर 104 गहरे तथा 1104 मध्यम गहरे नलकूपों हेतु आई0एस0कोड-12818/2010 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत 150एम0एम0, 175एम0एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एस0 पाइप), 150एम0एम0, 200एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 केसिंग पाइप (सी0एम0 पाइप) तथा 150एम0एम0 यू0पी0वी0सी0 रिब्ड मीडियम वेल स्क्रिन पाइप (आर0एम0एस0 पाइप) के क्रय की अनुमति उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित विवरण/तालिका के अनुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

(i) उक्त सामग्री का क्रय धन उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाय।

(ii) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त पाइप का भुगतान जिला योजना के अन्तर्गत मध्यम गहरे, गहरे नलकपों के निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(iv) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

(v) उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0 पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 तथा उघोग अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86, दिनांक 10-3-2003 में दी गयी व्यवस्थानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाइपों का क्रय, क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाइप उघोग निदेशालय कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(vi) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्सियल हैण्ड बुक वैलुम-5 भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है। क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(vii) उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-15/2016/750(1)/62-2-2016,तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- सचिव, लघु उघोग अनुभाग'-7, उ0प्र0 शासन।
4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।